न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 109/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पोकरराम पुत्र धर्माराम 2. हडुमानराम पुत्र धर्माराम 3. रावताराम पुत्र धर्माराम जाति सुथार निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी, बाड़मेर		1. रावताराम पुत्र पीथाराम 2. जोगाराम पुत्र पीथाराम 3. मानाराम पुत्र रायमलराम 4. शिवजीराम पुत्र पूंजाराम 5. रूपाराम पुत्र चिमनाराम 6. तगाराम पुत्र भारमलराम 7. भारूराम पुत्र नगाराम 8. हेमाराम पुत्र लक्ष्मणराम 9. सताराम पुत्र लक्ष्मणराम 10. लाखाराम पुत्र नरसिंगाराम 11. पूनमाराम पुत्र गुलाराम 12. वीराराम पुत्र मालाराम 13. चतरू देवी पत्नी तेजाराम 14. बुधराराम पुत्र तुलसाराम 15. नथाराम पुत्र तुलछाराम 16. नथाराम पुत्र तुलछाराम 17. चुनी देवी पत्नी मांगाराम 18. गेनाराम पुत्र मांगाराम 19. गोमाराम पुत्र शेराराम निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री बीजाराम गोदारा , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 24.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा धने की ढाणी हल्का पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 162 रकबा 77.17 बीघा खातेदारी

का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा धने की ढाणी हल्का पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 162 रकबा 77.17 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा धने की ढाणी हल्का पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 162 रकबा 77.17 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा धने की ढाणी हल्का पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 162 रकबा 77.17 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धने की ढाणी हल्का पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 162 रकबा 77.17 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2072–2075 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एत[illegible]रते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धने की ढाणी हल्का पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी खसरा नम्बर 162 रकबा 77.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested